(7)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

प्रथम राजस्व निग० प्र.

ता. पेश

निग 3512-I-16

B.O.R.
20 SEP 2016

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED.
CANCELLED.

1. श्रीमति रेखा बाधवा बेवा जसवंत सिंह बाधवा
2. मयंक बल्द जसवंत सिंह
3. डाली पुत्री जसवंत सिंह
4. प्रीति पुत्री जसवंत सिंह

साकिन सभी न्यू शांति नगर सागर रोड दमोह

———— आवेदकगण

बनाम

1. जगजीत सिंह बल्द सरदारी लाल बाधवा
2. श्रीमति जया पत्नि जगजीत सिंह बाधवा
3. मुदित सिंह बल्द जगजीत सिंह बाधवा

सभी साकिन न्यू शांति नगर सागर रोड दमोह

———— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 27.7.2016 पारित द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर अंदर राजस्व अपील क्र. 8353/6वर्ष2014-15 प्रकार जगजीतसिंह बाधवा + अन्य बनाम श्रीमति रेखा + अन्य जिसमें उत्तरवादी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ली गई है से परिवेदित होकर प्रस्तुत

महोदय,

अपीलार्थीगण/उत्तरवादीगण प्रार्थना करते हैं :-

संक्षिप्त में मामला

(3)

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मौजा [illegible] प.ह.नं. 14 में

89
26/09/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3512-एक/2016 जिला दमोह रेखा विरूद्ध जगजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक रेखा व अन्य की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । अनावेदक जगजीत की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 3. अनावेदक अभिभाषक द्वारा गत पेशी पर आवेदन पत्र मय विवादित भूमि के विक्रय पत्र के साथ पेश किया गया था एवं अनुरोध किया था कि आवेदकगणों के द्वारा विधिवत भूमि के विक्रय के कारण से उक्त निगरानी याचिका प्रभावहीन (Infructuous) हो गयी है । 4. उक्त आवेदन की जानकारी से निगरानीकर्ता के अभिभाषक को भी अवगत कराया गया था । 5. आज पुन: अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव मय अनावेदक जगदीश सिंह के साथ उपस्थित । अनावेदक अभिभाषक के द्वारा दिनांक 11-01-19 को जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, आवेदक अभिभाषक को उक्त विक्रय पत्र की प्रतियां अवलोकित करायी गयी, जिसके खंडन हेतु उनके द्वारा आज कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह आपत्ति अवश्य प्रस्तुत की गई है कि उनको अनावेदक अभिभाषक ने विक्रय से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है । 6. न्यायालय के द्वारा दिनांक 11-01-19 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज आवेदक अभिभाषक को अवलोकित कराये गये। विक्रय पत्र की प्रति भी अवलोकित करायी गयी है जो आवेदकगण के द्वारा ही की गई है । इसलिये आवेदक अभिभाषक की आपत्ति अमान्य की जाती है । 7. विवादित भूमि मौजा लाडनबाग प.ह.नं. 14 खसरा क्रमांक 187/4 रकवा 0.71 हेक्टेयर का विक्रय पत्र दिनांक 30-08-2018	

11.02.19

(3)

अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार विवादित भूमि का विक्रय होना सिद्ध होता है, इसलिये विक्रय पत्र पर संदेह नहीं किया जा सकता है । अतः निगरानी आवेदन इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

8. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जाये ।

(आर.के. जैन) 11/2/19
सदस्य